राजस्थान सरकार

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्था. / सैटअप / प्रहरी नियुक्ति / 2011 / 18857 दिनांकः 6/9/11

:: स्थाई आदेश संख्या 04 / 2011 ::

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट–4 के नियम 28(4)(1) के अन्तर्गत प्रहरी पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में जारी स्थाई आदेश संख्या 1 / 98 दिनांक 10.12.1998 के अधिक्रमण में निम्न आदेश प्रसारित किया जाता है :–

पार्ट– I

लिखित परीक्षा

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट–4 के नियम 26 के प्रावधानानुसार प्रहरी पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा 400 अंको की होगी जिसके लिये 2 घण्टे का समय निर्धारित किया जाता है। परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकृति की होगी। परीक्षा का विषय एवं अंक विभाजन निम्नानुसार होगा –

भाग–अ	विवेचना एवं तार्किक योग्यता	180 अंक
भाग–ब	सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक	100 अंक
भाग–स	राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि	120 अंक

प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जायेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक उत्तीर्णांक के रूप में निर्धारित हैं।

<u>पार्ट– II</u>

(A). शारीरिक माप तौल

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 18 के पार्ट –2 एवं पार्ट –2 के उप नियम (i)(ii)(iii) के प्रावधानानुसार शारीरिक माप तौल निम्नानुसार होना चाहिये –

पुरूष अभ्यर्थी	*ऊँचाई*	*न्यूनतम 168 सेमी.*
	सीना	*बिना फुलाए 81 सेमी. फुलाने पर 86 सेमी.*
(सीने का कम से कम फुलाव 5 सेमी.)		

महिला अभ्यर्थी	*ऊँचाई*	*न्यूनतम 152 सेमी.*
	वजन	*न्यूनतम 47.5 किग्रा*

नोट– उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढवाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कम नहीं होनी चाहिए।

(B). शारीरिक दक्षता परीक्षा

निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुरूप पाये गये अभ्यर्थियों की राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 28 के प्रावधानानुसार शारीरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी जो निम्नानुसार होगी –

	परीक्षा	निर्धारित समय
पुरूष अभ्यर्थी	10 कि.मी. दौड़	अधिकतम 60 मिनट में
महिला अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट में

उक्त परीक्षा हेतु एक अवसर ही देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक शारीरिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाईंग नेचर *(Qualifying Nature)* की होगी।

पार्ट– III

(A) चयन सूची

चयन समिति द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में वरीयतानुसार प्राप्त अंको के आधार पर वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन समिति विज्ञापित रिक्त पदों के अधिकतम 50% की सीमा तक पात्र अभ्यर्थियों के नाम की आरक्षित सूची तैयार करेगी, जो छः माह तक के लिये वैध होगी।

(B) चिकित्सकीय परीक्षण

चयन सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जायेगा। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के नियम 18 के पार्ट–2 के नियम (iv) के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी की दृष्टि निम्नानुसार होनी चाहिये –

दृक शक्ति	बिना चश्मे के		चश्मे सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	जे 5	जे 5	जे 1	जे 1

टिप्पणी–(1) निकट दृष्टि 5 डी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मौलिक रंगों में विभेद न कर पाना और/या रात्रि का अन्धापन (रतौंधी) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(3) किसी भी रूप में स्पष्ट भेंगापन होने से अभ्यर्थी अनर्ह हो जायेगा।

(C) नियुक्ति

चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों से चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों का संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड इत्यादि से सत्यापन करवाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज व चरित्र सत्यापन सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जायेगी। नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाये गये अभ्यर्थी के स्थान पर नियमानुसार आरक्षित सूची में से पात्र अभ्यर्थी का चिकित्सकीय परीक्षण, चरित्र सत्यापन व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाकर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर